

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर..... मुकाम.....
(SDO) बायतु

..... बनाम
किस्म मुकदमा..... नं..... सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/02/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक को पेश हो।</p>	
08/03/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विजय/गणेश के नोटिस तामिल सिम तामिल सिम पत्रावली दिनांक 28/04/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु बाउमेर</p>
28/04/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विजय/गणेश के नोटिस तामिल कृष्ण शर्मा जिसे तामिल पत्रावली विजय/गणेश/विजय/गणेश कावजुस तामिल कुरुस्थित/न्यायालय तामिल तीन बार दिनांक लगाई गई अनिलम तामिल 5:45 pm पर लगाई गई विजय/गणेश तामिल या उनही को से कोई अधिकृत उपस्थित नहीं हुआ सिविल विजय/गणेश के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही सिमल के लाई जाती है। दिनांक वास्ते पत्रावली दिनांक 23/05/2022</p>	

.....
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
बाउमेर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

23/5/22

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत रोद्धा रोद्धा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर

न्यायालय उपर
क्र. बा. 2022/017
प्रार्थी
1. नारायणसिंह पुत्र मकरसिंह वगैरा 07.
जाति जाट. निवासी नाराला.
स्टवार नण्डल कोल.
तहसील बायतु (बाड़मेर)
प्रार्थी

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/817
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 30/5/22
विप्रार्थीगण

1. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह वगैरा 07,
जाति जाट, निवासी मोराला,
पटवार मण्डल कोलू,
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. मगाराम पुत्र मगनाराम वगैरा 32,
जाति जाट, निवासी मोराला,
पटवार मण्डल कोलू,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 77/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - मोराला, पटवार मण्डल - कोलू, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 458, 493, 499, 678/499, 679/493 रकबा 13.9553, 5.3879, 3.7052, 15.7189, 5.3879 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अक्षेपित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/818-822
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह वगैरा 07,
4. विप्रार्थी श्री मगाराम पुत्र मगनाराम वगैरा 32,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(जगदीश सिंह आशिय)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 30/5/22

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु